[5/8/2025]

प्रश्न सं. [क. 2653] (प्रपत्र – "अ")

विधिक सेवा (विधिक सहायता/सलाह) योजना

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा समाज के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरुद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है।

विधिक सेवायें कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ?

कोई भी ऐसा व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेवायें प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसकी वर्ष भर की आमदनी एक लाख रूपये से ज्यादा की नहीं है। इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के सभी व्यक्ति भी बिना आय सीमा के बंधन के निःशुल्क विधिक सेवायें प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

1. जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,
2 ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार कराया जा रहा हो,
3. महिला या बालक हो,
4. ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ्य है, या अन्यथा असमर्थ है, या निर्योग्य है निर्योग्य का तात्पर्य है :--
(क) अंधापन
(ख) कमजोर दिखाई देना
(ग) जिसे कुष्ट रोग है
(घ) कम सुनाई देना
(ङ.) जो चल फिर नहीं सकता
(च) जो दिमागी रूप से बीमार हो।

5. ऐसा व्यक्ति जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है,
6. ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार है,
7. ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी है,

किस तरह की विधिक सहायता मिलती है :–

विधिक सेवा के पात्र व्यक्ति को मामले में लगने वाली :–

1. कोर्ट फीस,
2. तलवाना,
3. टाईपिंग/फोटोकापी खर्च,
4. गवाह का खर्च,
5. अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च,
6. निर्णय/आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च,
7. वकील फीस का भुगतान किया जाता है तथा उसे निःशुल्क विधिक सलाह भी प्रदान की जाती है।

उपरोक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों/अधिकरणों, उच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है।

विधिक सेवा कैसे प्राप्त की जाये ?

उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति क्रमशः उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उप समिति, जिला न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को लिखित में एक आवेदन करेगा जिसके साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र होगा । यदि आवेदक निरक्षर है या

R. P. Gupta
Additional Secretary, (Law)
Government of M.P. Law & Legislative
Affairs Department Bhopal

हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है तो सचिव उसका मौखिक निवेदन अभिलिखित करेगा तथा उस पर उसका अंगूठे का चिन्ह प्राप्त करेगा और ऐसा अभिलेख उसका आवेदन समझा जायेगा।

विधिक सेवा प्राप्त व्यक्ति के कर्तव्य :–

विधिक सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने आवेदन पत्र में कोई तथ्य न छिपाये तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। यदि विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय कोई डिक्री या कोई आदेश पारित करते हुए खर्चे या अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करता है तो विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति को समस्त खर्च, प्रभार तथा व्यय की गई राशि जो उसे विधिक सेवा प्रदान करने में दी गई है, वापिस लौटाना होती है।

किन–किन न्यायालयों में और किन मुकदमों में विधिक सहायता मिलती है :–

विधिक सहायता सभी प्रकार की अदालतों में जैसे– उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, कमिश्नर, कलेक्टर, एस.डी.ओ., तहसीलदार की अदालत, श्रम न्यायालय यानि जितनी भी अदालतें हैं, चाहे वे फौजदारी की हों, दीवानी की हों, राजस्व की हों या अपील की सुनवाई करने वाली हों, सबके लिए और सभी तरह के मुकदमों में विधिक सहायता दी जाती है।

किन–किन मुकदमों में विधिक सहायता नहीं मिलती है :–

1. मानहानि या विद्वेषपूर्ण मामलों में, तथा न्यायालय की अवमानना तथा शपथ भंग के मामलों में।
2. किसी चुनाव से संबंधित मामलों में।
3. ऐसे अपराधों में जिनमें जुर्माना 50/– रूपये से अधिक न हो।

4. आर्थिक अपराधों एवं सामाजिक अपराधों के संबंध में मुकदमा होने पर विधिक सहायता नहीं मिलती। परन्तु अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण ऐसे मुकदमों में भी विधिक सेवा प्रदान कर सकेगा।
5. जहां कोई व्यक्ति किसी मुकदमें में पक्षकार का प्रतिनिधि है अथवा वह मुकदमें में खास पक्षकार नहीं है।
6. व्यापार तथा कारोबार करने के संबंध में धन या सम्पत्ति की वसूली के लिए कोई मुकदमा चलाने हेतु।

उच्च न्यायालय में विधिक सहायता :–

कोई पात्र व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में अपना मुकदमा लगाना चाहता है या उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, उसे उच्च न्यायालय के लिए विधिक सहायता मिलेगी। यदि मुकदमा उच्च न्यायालय जबलपुर में चलाना चाहता है या चल रहा है तो वह सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / उप समिति जबलपुर को, यदि प्रकरण खंडपीठ इन्दौर / ग्वालियर में है या चलाना चाहता है, तो सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा उपसमिति इन्दौर / ग्वालियर को अपना आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

जिले की सभी प्रकार के न्यायालयों में विधिक सहायता :–

यदि कोई पात्र व्यक्ति जिले की किसी भी अदालत में अपना मुकदमा चलाना चाहता है या उसके खिलाफ मुकदमा चलता है, तो वह जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस जाकर जिला न्यायालय / अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण, सचिव या जिला विधिक सहायता अधिकारी को अपना आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

तहसील स्तर की सभी न्यायालयों में विधिक सहायता :–

तहसील की सभी प्रकार की अदालतों के लिए विधिक सहायता लेने के लिए वहां न्यायालय में तहसील विधिक सेवा समिति जाकर तहसील समिति के अध्यक्ष जो उस तहसील के बड़े न्यायाधीश होते हैं, को आवेदन दे सकता है और विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

R. P. Gupta
Additional Secretary (Law)
Government of M.P. Law & Legislative
Affairs Department, Bhopal

**

(प्रपत्र - "ब")

क्र.	नाग	ग्राम	वर्ष
1	श्री अरविंद गौड	ग्राम सासन, तहसील भितरवार	2023
2	श्री संजय जाटव	ग्राम चीनौर, तहसील भितरवार	2023
3	श्री अरविंद गौड़	ग्राम पिपरौ, तहसील भितवार	2023
4	श्री रतिलाल आदिवासी	ग्राम श्यापुर, तहसील भितरवार	2024
5	श्री गोपाल सिंह जाटव	ग्राम जौरा, तहसील भितरवार	2024
6	श्री परमा अहिरवार	तहसील भितरवार	2025
7	श्री रतिलाल आदिवासी	ग्राम श्यापुर, तहसील भितरवार	2025
8	श्री दलवीर जाटव	भितरवार	2025
9	श्री गौरीशंकर जाटव	भितरवार	2025
10	श्री हरिओम आदिवासी	ग्राम खोर, तहसील भितरवार	2025
11	श्री हरिओम आदिवासी	ग्राम खोर, तहसील भितरवार	2025
12	श्री हरिओम आदिवासी	ग्राम खोर, तहसील भितरवार	2025

R. P. Gupta
Additional Secretary (Law)
Government of M.P. Law & Legislative
Affairs Department, Bhopal